

1.

585

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्रालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/1/ 2017 निगरानी R - 1517 - I - 17

1. बनवारी लाल पुत्र स्व. श्री श्यामलाल साहू

2. विजय कुमार पुत्र स्व. श्री श्यामलाल साहू

समस्त निवासीगण - ग्राम रुसल्लीघाट

हाल निवासी लिंकरोड सिरोज जिला

विदिशा म.प्र.

..... आवेदकगण

श्री चिनादतीनाराटी
द्वारा आज दि २९/१-०७
प्रस्तुत

वज्र अमर लाल
राजस्व मण्डल निगरानी
ग्राम रुसल्लीघाट
विदिशा म.प्र.
✓ ५८८८. ५० रुपये

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री श्यामलाल साहू
निवासी ग्राम रुसल्लीघाट निवासी लिंक
रोड सिरोज जिला विदिशा म.प्र.

..... अनावेदक

2. रामबाबू पुत्र स्व. श्री श्यामलाल साहू आयु

50 वर्ष

3. मीराबाई पुत्र स्व. श्री श्यामलाल साहू पत्नी
रामचरण जी साहू निवासी बरेठ रोड धरम
कांटे के पास गंजबासौदा

4. तुरसाबाई पुत्री स्व. श्री श्यामलाल साहू
पत्नी स्व. खुशशीलाल साहू निवासी मोहल्ला
छत्री नाका सिरोज

5. सरजू बाई पुत्री स्व. श्री श्यामलाल साहू
पत्नी शिवनारायण साहू आयु 61 साल
निवासी घाट बमूरिया तहसील मुंगावली
जिला गुन्ना

6. कलाबाई पुत्री स्व. श्री श्यामलाल साहू पत्नी
खुशालचंद साहू आयु 60 साल निवासी
ग्राम पठारी तहसील कुरवाई जिला विदिशा

7. राजकुमारी बाई पुत्री स्व. श्री श्यामलाल साहू पत्नी जमनापसद साहू आयु 55 साल निवासी मोहल्ला छत्री नाका सिरोंज
8. मुखलेश साहू पुत्री स्व. श्री श्यामलाल साहू पत्नी हीरालाल जी साहू आयु 40 साल निवासी मोहल्ला मंडी रोछ शमशाबाद जिला विदिशा
9. राजेश साहू पुत्र स्व. मायाबाई, हजारीलाल साहू (मायाबाई पुत्री स्व. श्यामलाल साहू) निवासी मोहल्ला छत्री नाका सिरोंज

..... तरतीवी पक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्वसंहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 48 / अपील/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदकगण एवं अनवोदकगण के मध्य उक्त खातों का आपस में बाहरी बंटवारा कर लिया है तथा बाहमी बंटवारा अनुसार आवेदकगण एवं अनवेदकगण अपने अपने भाग पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं परन्तु उक्त खाते शासकीय रिकार्ड में शामिल हैं। जिसका बंटवचारा रिकार्ड में नहीं हुआ है। परन्तु आवेदकगण एवं अनवेदकगण बाहमी बटवारा अनुसार रिकार्ड में बंटवारा कराना चाहते हैं इस बाबत न्यायालय तहसीलदार मण्डल 4 तहसील सिरोंज में सहमति बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।
2. यहकि, तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर इश्तहार जारी किया प्रकाशन किया गया परन्तु कोई आपत्ति नहीं आई पटवारी द्वारा फर्द बंटवारा

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1517-एक/17

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.४.१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	